न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/240/2015

उनवान

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी जगदीश चन्द्र दरक, (माहेश्वरी) निवासी लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, भीलवाडा

अपीलार्थीया/विपक्षीया

बनाम

1. मदन सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. गिरधर सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. नंद सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. गोपाल सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. राम सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. मोती सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (**मृत्यु हो जाने से नाम डिलिट दिनांक 15.11.2017**)

प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण

7. प्रेमसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. श्रीमती गुलाब कंवर पत्नि अर्जुन सिंह प्रेमसिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. रामकुंवार पिता रामा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
10. ईश्वर पिता रामा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. बन्ना पिता रामा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
12. सोहनी पत्नी रामा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (मृत्यु होने नाम डिलिट 15.11.2017)
13. राजी पत्नी हरदेव जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
14. बदामी पत्नी देवरकरण जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
15. नंदा पिता ओनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
16. शिव पिता ओनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
17. घासी पित ओनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
18. माया पुत्री ओनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
19. गोपाल पिता अर्जुन जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
20. सुखदेव पिता उगमा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
21. हीरा पिता उगमा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
22. उगमी बेवा उगमा जाट निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (मृत्यु होने से नाम डिलिट दिनांक 15.11.2017)
23. निम्बा पिता देबी गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
24. हरकु बेवा देबी गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
25. जगदीश पिता मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
26. शिव पिता मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
27. मिठू पिता मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

28. शांति बेवा मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
29. मिठूलाल पित मिश्री खाती निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
30. मोहनी बेवा मिश्री खाती निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (मौत होने से नाम डिलिट दिनांक 15.11.2017)
31. भंवर पिता बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
32. गोपाल पिता बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
33. सुखेदव पिता बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
34. लहरी बेवा बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (मृत्यु होने से नाम डिलिट 15.11.2017)
35. नंदा पिता रामा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
36. हरदेव पिता रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
37. देबी पिता रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
38. ईश्वर पिता रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
39. जेती बेवा रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
40. सायरी पुत्री रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
41. कमला पुत्री रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
42. संतोष पुत्री रूपा भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
43. मोहन पिता जयराम भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
44. मांगू पिता जयराम भील निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

45. घीसू सिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
46. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ,
47. उप पंजीयक कार्यालय हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के
प्रकरण संख्या 14/2012 निर्णय दिनांक 4.3.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री युगल किशोर ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री श्रवणलाल कुम्हार अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 7–8
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1से 6/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नंगाजी का खेडा पटवार क्षेत्र रूपाहेली द्वितीय तहसील हुरडा में जमाबंदी संवंत 2067 से 2070 की खाता संख्या 13 की आराजी नम्बर 2/1 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 497 रकबा 32 बीघा 06 बिस्वा, स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 03 के नाम दर्ज रेकार्ड है । जो कि विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 1 व 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.4.2010 को क्रय की ।
2. विपक्षी संख्या 3 द्वारा क्रय की गई आराजी नम्बर 2/1 व आराजी नम्बर 497 खाता संख्या 198 जमाबंदी संवत 2063 से 2066 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ विपक्षी संख्या 3 से 39 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थी तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने 1/9 हिसे का विभाजन नामान्तरकरण संख्या 720 दिनांक 17.3.2010 द्वारा करा बाद विभाजन उक्त आराजियात को विपक्षी संख्या 3 को बिना किसी विधिक अधिकार के विक्रय कर दिया तदनुसार नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 5.6.2010 के अनुसार विपक्षी संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण खोल दिया गया ।

3. विपक्षी संख्या 1 व 2 की हिस्से के विभाजन के पश्चात शेष 296 बीघा 09 बिस्वा आराजियात विपक्षी संख्या 4 से 39 के नाम जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार व 12 बीघा 17 बिस्वा आराजियात विपक्षी संख्या 1, 2, व 4 से लगायत 39 के नाम शामलाती दर्ज रेकार्ड कर दी गई।

4. विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 को बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के विक्रय की गई आराजियात संयुक्त आराजियात थी । जिस अनुसार खाता संख्या 198 की आराजी नम्बर 2 रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 4 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 5 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 6 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 7 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 8 रकबा 07 बीघा, आराजी नम्बर 9 रकबा 180 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 497 रकबा 32 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 499 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 540 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 12 रकबा 346 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर विपक्षी संख्या 1, 2, व विपक्षी संख्या 4 से 39 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड थी। खाता संख्या 198 में वर्णित उक्त आराजियात के साबिक खसरा नम्बर निम्न प्रकार से है:—

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वर्तमान खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर
1	1 मी
2	1 मी व 7 मी
3	1 मी
4	1 मी
5	481 मी
6	1 मी
7	274 मी
8	275 मी
9	1 मी व 274 मी
497	277 मी
499	277 मी
540	524, 525, 526मी

साबिक जमाबंदी ग्राम नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा की खाता संख्या 52 जमाबंदी संवत 2010 से 2014 के अनुसार प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 से 4 में वर्णित वर्तमान खसरा के साबिक खसरा नम्बर 1, 274/1, 276/1, 277/1, 274/1 कुल किता 5 रकबा 256 बीघा 11 बिस्वा अगर सिंह पिता जालम सिंह राजपूत के नाम अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रेकार्ड थी परन्तु दिनांक 10.6.1960 को ग्राम पंचायत रूपाहेली कला द्वारा विरासत की जांच किये बिना खातेदार अगर सिंह पुत्र जालमसिंह राजपूत की विरासत उरजन सिंह पिता गोकल सिंह के नाम स्वीकृत कर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अगर सिंह के बजाय उरजन सिंह के नाम अंकन कर दिया गया तथा वर्तमान में उरजन सिंह के फौत हो जाने के पश्चात विरासत से प्रेम सिंह पिता अर्जुन सिंह व गुलाब कंवर पत्नि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
मदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अर्जुन सिंह के नाम नामान्तरकरण खोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया ।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सजरा इस प्रकार है :–

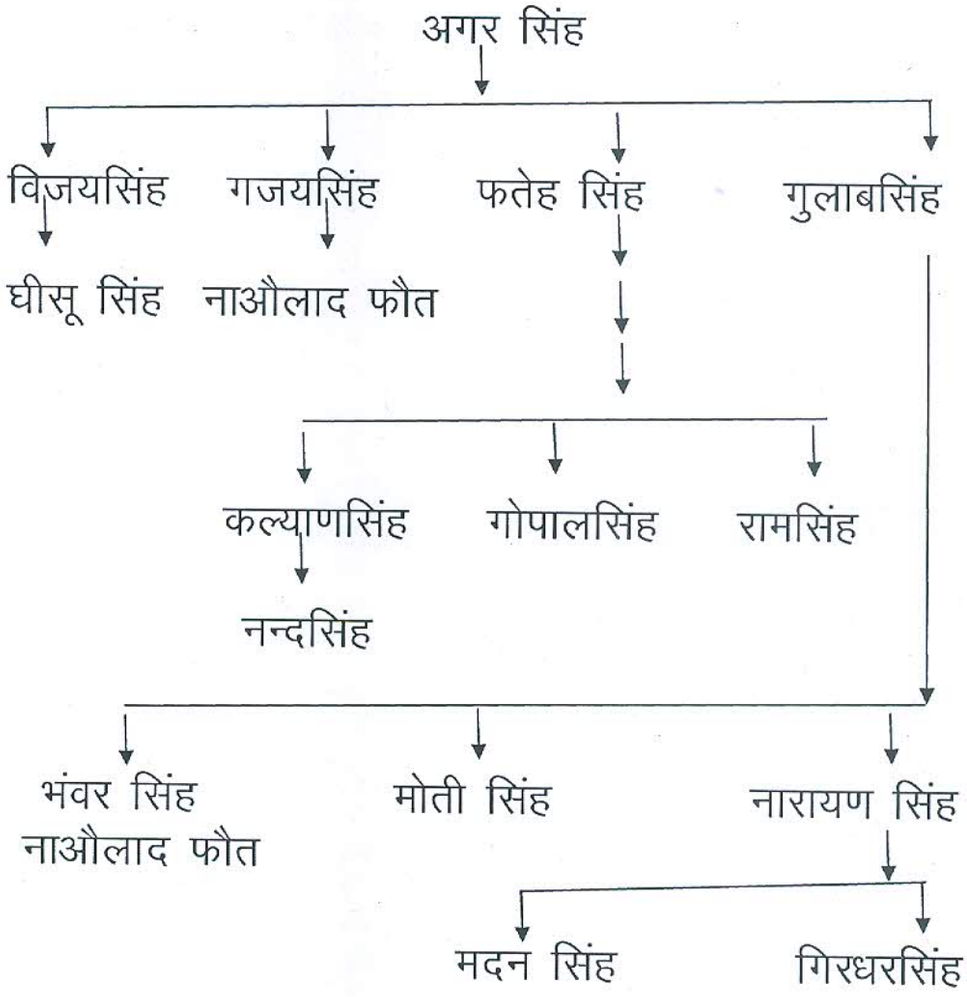

5. सजरे की रूह अनुसार गजय सिंह के नाऔलाद फौत होने से व उनका हिस्सा अन्य उत्तराधिकारियों में निहित हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया तथा इसी प्रकार भॅवर सिंह पिता गुलाबसिंह का हिस्सा भी प्रार्थी संख्या 1 व 2 में निहित हो गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. विधि के प्रावधानों के अनुसार मृतक की विरासत के आधार पर नामान्तरकरण उसके विधिक उत्तराधिकारी के नाम ही खोला जाना आवश्यक है परन्तु तत्कालीन पटवारी व ग्राम पंचायत रूपाहेली ने मृतक खातेदार अगर सिंह क विरासत की जांच के बिना नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 10.6.1960 को विधि के प्रावधानों की अवहेलना कर उरजन सिंह पिता गोकल सिंह जो मृतक का विधिक उत्तराधिकारी नहीं है के नाम स्वीकृत कर दिया । उक्त अवैधानिक नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकन से प्रार्थना पत्र की कॉलम नम्बर 2 से लगायत 5 में वर्णित प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 40 की पुश्तैनी आराजियात में उरजन सिंह काक कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही उरजन सिंह पुत्र गोकल सिंह के पुत्र विपक्षी संख्या 1 प्रेमसिंह व पत्नि विपक्षी संख्या 02 गुलाब कंवर को कोई विधिक हक अधिकार स्वत्व प्राप्त होते हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने भी इस बात की जानकारी होते हुए भी उक्त आराजियात को विपक्षी संख्या 3 कमला देवी पत्नि जगदीश चन्द्र दरक जाति माहेश्वरी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.4.2010 को बैचान कर दिया । वर्तमान में उक्त अवैधानिक बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 5.6.2010 के द्वारा विपक्षी संख्या 3 के नाम खुल चुका है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को भी बेचान की गई आराजियात के संबंध में कोई वैधानिक हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि विधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर स्वत्व अन्तरित नहीं कर सकता।

7. विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 को विक्रय की गई आराजी नम्बर 497 व आराजी नम्बर 2/1 विभाजन से पूर्व जमाबदी संवत 2063 से 2066 की खाता संख्या 198 का ही हिस्सा थी। जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लगायत 40 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था। विभाजन के उपरान्त भी विभाजन से पूर्व की भांति प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4 से 40 का संयुक्त कब्जाकाश्त है। जिससे विपक्षी संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 5.6.1960 स्वीकृत करते समय कब्जे की जांच नहीं किये जाने से व विपक्षी संख्या 3 का कब्जा न होने से उक्त नामान्तरकरण के आधार पर भी केता विपक्षी संख्या 3 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र की कॉलम नम्बर 2 से 5 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 40 का 1/9 हिस्सा है तथा उक्त आराजियात पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 40 का अपने दादा /पिता के समय से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 3 विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ मिलकर अवैधानिक बैचान के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकन के आधार पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 40 को बलपूर्वक बिना विधिक प्रकिया अपनाये उनकी पुश्तैनी आराजियात से बेदखल करने की दिनांक 5.6.2011 को धमकी दी। यदि विपक्षी संख्या 1, 2, 3 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 40 अपने पुश्तैनी आराजियात में हक हिस्से ,भूमि के कब्जेकाश्त उयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगे । जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 40 के परिवार के समक्ष संकट उत्पन्न होकर उनका भविष्य अंधकार में हो जायेगा और वे बेरोजगार होकर भूखे मरने की नोबत आ जायेगी जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि असंभव है। अतः प्रार्थीना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ताफैसला मुकदमा विपक्षीगण प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 40 के कब्जेकाश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का दखल न करें और न ही किसी अन्य से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करावे और न ही विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की कॉलम नम्बर 2 से 5 में वर्णित आराजियात को किसी अन्य दीगर को अन्तरित, रहन, बैचान, बक्षीस कर बेदखल करे व न करावें। यदि दौराने वाद विपक्षीगण अपने मकसद में कामयाब हो जावे तो पुनः विपक्षीगण के खर्चे से वाद दायरी स्थिति लाई जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

8. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि` अगर सिंह की मृत्यु के उपरान्त विरासत से वर्ष 1960 में उरजन सिंह के नाम नामान्तकरण खुला । उरजन सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 एवं 2/प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 प्रेम सिंह पिता अर्जुन सिंह व श्रीमती गुलाबकंवर पत्नि अर्जुन सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। विभाजन के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 व 2/प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 के नाम वादग्रस्त आराजी नम्बर 2/1 करबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 497 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा आया। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में विपक्षी संख्या 1 व 2 / प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 के नाम पर वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण दिनांक 17.3.2010 को खुला । उसके उपरान्त दिनांक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दोनों ही खातेदारों ने अपीलार्थीया को दिनांक 15.4.2010 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया । अपीलार्थीया के नाम वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थीया का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

10. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया कि अपीलार्थीया/विपक्षीया ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना वकील नियुक्त नहीं किया था। बल्कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थीया को आश्वस्त किया कि हमनें आपको वादग्रस्त भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये किया ह। जो सही है जो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है उसमें हम अधिवक्ता नियुक्त कर देंगें और आपकी भी पैरवी करा लेंगें। उनके द्वारा आश्वासन देने के बावजूद अपीलार्थीया की ओर से पैरवी नही कराई और अपीलार्थीया के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करा दी। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण के साथ मिलाभगती कर ली और षड्यंत्रपूर्वक अपीलार्थीया के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थीया को नहीं हो सकी । सर्वप्रथम जानकारी विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 5.11.2015 को अपीलार्थीया को फोन पर बताने पर हुई। तब जाकर अपीलार्थीया ने निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जावे।

11. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में विक्रयकर्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित हुए इसलिए उनके विरूद्ध एक्सपार्टी में आदेश हुआ । अपीलार्थीया को भी सूचित नही किया गया था। इसलिए वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी और प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 के पक्ष में एवं अपीलार्थीया जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार है के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। जबकि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपने तर्को की पुष्टि में आर बी जे 1997 पेज 44, डी एन जे 2013 पेज 18 क

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/विपक्षीया को नोटिस की प्रोपर तामील हुई थी। अपीलार्थीया की तामील के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई जिस पर उनके विरूद्ध दिनांक 13.3.2012 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलार्थीया के अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक नही होने से अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी अगर सिंह आत्मज जालम सिंह की थी। जिनका नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नहीं खोला गया। प्रत्यर्थीगण अगर सिंह जी के वारिसान है। वादग्रस्त आराजी पर उनका ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीया ने ऐसा कथन नहीं किया है कि प्रत्यर्थीगण अगर सिंह जी के वारिसान नहीं है। वादग्रस्त आराजी प्रत्यथीगण की पुश्तैनी आराजी है यदि स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है और अन्य को पुनः आराजियात विक्रय कर दी जाती है तो प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण/वादीगण का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों की ताईद में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2004 पेज 11 एवं राजस्थान हाई कोर्ट 2013, आर आर टी पेज 683 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि खातेदार के विरूद्ध भी स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. अपीलार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात उसके द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार से कय की गई है एवं कब्जा प्राप्त किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीया को राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है एवं खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

16. वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात होने का कथन प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया है । विरासत से नामान्तरकरण गलत खोल दिये जाने के कारण वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 /विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। इस बाबत मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय होना शेष है। यदि स्थगन आदेश नहीं दिया जाता है तो निश्चय ही प्रकरण में वाद–वादोत्तर बढने की संभावना प्रबल हो जाती है । चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

17. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाी है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 4.3.2014 को यथावत रखा जाता है।

18. निर्णय आज दिनांक 28.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा